

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश

जिला Jabalpur मध्य प्रदेश

E-mail: jabalpur@mptownplan.gov.in

क्रमांक JBPLP310322145/ दिनांक / 09/MAY/2022

प्रति,

VISHAL DATT(DATT REAL INFRA PVT LTD)

1148/A NAPIER TOWN JABALPUR 482002

Jabalpur, म.प्र.

विषय:- ग्राम- Maheshpur तहसील Gorakhpur जिला Jabalpur स्थित भूमि खसरा क्रमांक 9/4,9/6,9/6/KA,9/6/KHA,9/7 कुल रकबा 0.8325 हेक्टेयर (8325.0000) वर्गमीटर पर Group Housing विकास हेतु अनुज्ञा बावत्।

परियोजना का नाम- "DATT SOLITAIRE"

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 31/MAR/2022 एवं आपके द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत जानकारी

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि ग्राम- Maheshpur तहसील- Gorakhpur जिला- Jabalpur स्थित खसरा क्रमांक 9/4,9/6,9/6/KA,9/6/KHA,9/7 कुल रकबा 0.8325 हेक्टेयर (8325.0000) वर्गमीटर भूमि जिसका भूमि उपयोग Jabalpur विकास योजना 2021 में "Residential." निर्दिष्ट है। पर Group Housing विकास हेतु अनुज्ञा चाही गई है।

उक्त तारतम्य में आवेदक श्री/श्रीमति/मेसर्स VISHAL DATT(DATT REAL INFRA PVT LTD) द्वारा विकास हेतु अनुमति बावत् ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ है। Jabalpur विकास योजना 2021 की कंडिका में Residential भूमि उपयोग में Group Housing विकास स्वीकार्य गतिविधि है।

प्रश्नाधीन स्थल का निरीक्षण दिनांक 04/MAY/2022 को आवेदक/अधिकृत प्रतिनिधि श्री VISHAL DATT(DATT REAL INFRA PVT LTD) की उपस्थिति में उनके द्वारा बतलाई गई सीमा के अनुसार किया गया है, भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अतः Residential भूमि उपयोग में Group Housing विकास हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 (1) के प्रावधानों अनुसार अनुज्ञा निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जा रही है:-

- 1.60 मीटर ऊंचे आवासीय भवन के लिये स्थल अनुमोदन समिति का कार्यवाही विवरण दिनांक 12.04.2022 में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (1)60 मीटर ऊंचे आवासीय भवन के लिये स्थल अनुमोदन समिति का कार्यवाही विवरण दिनांक 12.04.2022 में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 2.प्रश्नाधीन भूमि पर संलग्न मानचित्र अनुसार नियोजन मापदण्ड नियमानुसार मान्य होंगे :- (1) ग्राउंड कवरेज 30 प्रतिशत अधिकतम (2) फर्शीतल क्षेत्र अनुपात 2.5 अधिकतम (3) एम.ओ.एस.- सामने 18 मीटर, आजू-बाजू एवं पीछे 09-09 मीटर (4) भवन की अधिकतम उंचाई फेस-1 की 30.00 मीटर (स्टिल्ट एवं सर्विस फ्लोर को छोड़कर), फेस-2 की 30.00 मीटर (स्टिल्ट एवं सर्विस फ्लोर को छोड़कर) एवं फेस-3 की 60.00 मीटर (स्टिल्ट, पोडियम एवं सर्विस फ्लोर को छोड़कर) मान्य होगी।
- 3.विषयांकित भूमि के सामने मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 36.00 मीटर है एवं उक्त मार्ग के मध्य से 18 मीटर भूमि को मार्ग हेतु सुरक्षित रखी जाना आवश्यक होगा, तथा मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी गई भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा। वर्तमान स्थित या राजस्व अभिलेखों के अनुसार जो अधिक उपलब्धता होगी वह भूमि मार्गाधिकार हेतु छोड़ना अनिवार्य होगा।
- 4.जबलपुर विकास योजना 2021 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का भूमि उपयोग वाणिज्यिक एवं आवासीय निर्दिष्ट है जिसमें कार्यालय द्वारा व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय एवं आवासीय फ्लेट्स हेतु प्रदाय की गई विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधियाँ एवं उसका उपविभाजन मान्य नहीं होगा। इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप-विभाजन मान्य नहीं होगा। यदि भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र का उप-विभाजन किया जाकर विक्रय किया जाता है, तो अनुमति के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जावेगी अथवा दी गई अनुमति के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जावेगी अथवा दी गई अनुमति निरस्त कर दी जावेगी।
- 5.उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित शर्त के क्रम में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के अनुसार आवेदक द्वारा ऐसा अधिभोग किया जाता है जो कि निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं होती है ऐसी स्थिति में भवन निर्माण अधिकारी संबंधित को ऐसी सूचना देगा व ऐसे उपयोग को बंद करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि सूचना प्राप्ति के

Signature Not Verified

Digitally Signed by
RAVINDRA KUMAR SINGH
Date: 10-05-2022 13:31:01

- पश्चात भी आवेदक द्वारा अधिभोग बंद नहीं किया जाता तो यह अनुज्ञा स्वमेय ही प्रभावशून्य मानते हुये भवन अधिकारी वैधानिक कार्यवाही कर सकेंगे।
- 6.तलघर, पोडियम एवं सर्विस प्लोर का निर्माण एवं उपयोग क्रमशः मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 76, नियम-62 एवं नियम-64 में निहित प्रावधानों के अनुसार करना होगा। तलघर, स्टिल्ट एवं पोडियम का उपयोग केवल वाहन पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा। जिसका अंतिम निर्धारण सक्षम प्राधिकारी, भवन निर्माण अनुज्ञा से पूर्व करेगा जो अंतिम होगा।
- 7.स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधार भूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा, जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- 8.म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम-87 अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी, जिसका पालन आवेदक को आवश्यक रूप से करते हुए नियम-88 अनुसार भूकम्परोधी तकनीकी से निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।
- 9.म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-52 के अनुसार विद्युत लाईन संबंधी नियम का पालन आवेदक को सुनिश्चित करना होगा।
- 10.म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81(4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल संवर्धन प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। उसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल एवं विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्था के द्वारा दिया जा सकेगा।
- 11.जल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमतियां यदि आवश्यक होगी तो प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 12.प्रस्तुत कोई दस्तावेजों एवं स्थल मानचित्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों एवं साक्ष्य में विसंगति होने या पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक एवं उनके वास्तुविद की होगी।
- 13.आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-84 के परिशिष्ट झ-1 एवं झ-2 के प्रावधानों अनुसार अतिशेष पार्किंग हेतु प्रावधान रखना होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना होगी। पार्किंग की आवश्यकता की पूर्ति आवेदक को स्वयं के परिसर में ही करना अनिवार्य होगा एवं इस प्रावधान को योजना में नियमानुसार क्रियान्वित कराये जाने का दायित्व स्थानीय संस्था का होगा। वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्थाएं नियमानुसार सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन के आंतरिक प्रस्ताव अनुमोदित किये जा सकेंगे।
- 14.प्रश्नाधीन भूमि नगर निगम जबलपुर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत है तथा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कालोनी विकास हेतु म0प्र0 नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम-1998 प्रभावशील है। उक्त नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम है। प्रकरण में म0प्र0 नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम-1998 के अंतर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुये विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा उक्त नियमों में दिनांक 19.04.2012 के नियम-10 के प्रावधान अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों एवं निम्न आय वर्गों के संबंध में संलग्न मानचित्र में आवेदक एवं उसके आर्किटेक्ट /इंजी. द्वारा उपदर्शित किया गया है, इसकी गणना का परीक्षण स्वयं के स्तर से मान्य करने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। यदि मान्य किये जाने वाले प्रस्ताव अनुमोदन से भिन्न होने पर विवरण सहित अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत उसको समायोजित करने हेतु आवेदक को निर्देशित किया जाना सक्षम प्राधिकारी का दायित्व होगा कि वह तदनुसार उपांतरित विकास अनुज्ञा प्राप्त करें।
- 15.आवेदक को समस्त विभागों से अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22.10.2016 में प्रकाशित अनुसार रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के अंतर्गत मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व परियोजना का विनियामक प्राधिकरण से पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
- 16.मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिपेक्ष्य में आवेदन हेतु शुल्क रुपये 5000/- रसीद क्रमांक 02171801 दिनांक 13/APR/2022 और विकास अनुज्ञा शुल्क रुपये 62,400/- एवं रुपये 10,168/- क्रमशः रसीद क्रमांक 22050530323171925481 दिनांक 05/MAY/2022 तथा रसीद क्रमांक SBIN000615902170505202247912 दिनांक 05/MAY/2022 द्वारा जमा किये गये एवं अंतिम सत्यापन के अध्याधीन है। यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये शुल्क में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।
- 17.मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक/भूमि स्वामी नियमों में उल्लेखित निर्दिष्ट कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वाहन किया जाना अनिवार्य हैं, प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक को स्थल पर विकास अनुमति के पश्चात किये जा रहे विकास कार्य की प्रत्येक स्तर की सूचना सक्षम प्राधिकारी (भवन अधिकारी) को प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा तथा भवन अधिकारी के द्वारा दी गई सूचना का स्थल पर सत्यापन प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। सत्यापन के दौरान यदि आवेदक द्वारा दी गई अनुज्ञा का विचलन पाये जाने पर तत्काल विकास/निर्माण पर रोक लगाते हुये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी साथ ही आवेदक द्वारा समस्त विभागों से प्राप्त की गई अनुमति/अनापत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 18.मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम-100 एवं 101 का पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। म0प्र0 शासन के आदेशानुसार एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-67 के अनुसार परिसर में प्रस्तावित खुले क्षेत्र व उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- 19.मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम-81(4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल संवर्धन प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

20. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम-93 के प्रावधान अनुसार प्रस्तावित प्रयोजन से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से स्थानीय संस्था के मार्गदर्शन में स्थान सुरक्षित करना होगा, जिसका प्रबंधन कालोनाईजर संस्था द्वारा स्वयं को करना होगा।
21. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम-88 के प्रावधान अनुसार भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जावेगा। इन प्रक्रियाओं का पालन करना आवेदक का दायित्व होगा जो कि सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में सुनिश्चित किया जायेगा।
22. प्रश्नाधीन स्थल पर सामने निर्मित दुकानों को हटाने की शर्त पर यह अनुज्ञा जारी की जा रही है।
23. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता, म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियमन अधिनियम 1976 एवं 1956 म.प्र. नगर पालिका, कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन एवं शर्तें नियम 1998 तथा अन्य) अधिनियमों नियमों के अंतर्गत कोई अनुमति अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य हो तो वह लेना होगी तथा उसमें आरोपित शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा।
24. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 14.09.2006 तक यथा संशोधित अधिसूचना 01.09.2009 एवं 14.03.2019 के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 150000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरीय और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है। म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है। तो इकाई प्रबंधन को/ संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार अथवा स्टेट ऑफ यूनियन टैरेटरी लेवल इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट अथॉरटी (एसईआईए) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही परियोजना से जुड़े निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे तथा निर्माण के पूर्व ई.आई.ए. क्लीयरेन्स लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। म0प्र0 शासन के आदेशानुसार कालोनी में पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
25. जल-मल निकासी, वर्षा के जल की निकासी तथा जल-मल संवहन की व्यवस्था एवं पानी की पाईप लाईन, टंकी आदि का निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/नगर पालिका निगम, जबलपुर के निर्देशन में निर्धारित मानकों व मानदण्डों के अनुसार उनकी देख-रेख में की जावेगी तथा नगर निगम के मुख्य ड्रेन से जोड़ा जावेगा। एस.टी.पी. का निर्माण आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वयं की भूमि पर स्थापित करना अनिवार्य होगा।
26. आपके द्वारा प्रस्तुत पटवारी खसरा ट्रेस मानचित्र में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर या प्रस्तुत अभिन्यास मानचित्र में विरोधाभास या विसंगती पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं की एवं अपने वास्तुविद/इंजीनियर दोनों की बराबर की होगी, तथा सिद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
27. अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा। स्थल पर अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र संबंधी जानकारी 5x4 फुट साईज के बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
28. यह अनुज्ञा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार 03 वर्ष हेतु विधिमान्य रहेगी इस अवधि की समाप्ति के पूर्व पुनः विधि मान्य कराना होगा एवं पुनः विधिमान्यकरण लगातार दो अवधियों के लिए जिसमें प्रत्येक अवधि 1 वर्ष की किया जा सकेगी।
29. इस अभिन्यास मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा उक्त स्थल मानचित्र को भू-स्वामित्व के रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं माना जावेगा। तथा इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आवेदित भूमि का व्यपवर्तन व कालोनाईजर नियम-1998 के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त नहीं कर लेता।
30. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक 1754 दिनांक 03.04.2012 के अनुसार म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता-2004 (म0प्र0) इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड-2004) अनुसार आवासीय कालोनियों/बहुउपभोक्ता परिसरों के लिए अनुमानित विद्युत प्रभार की गणना कर आवश्यक क्षेत्र आवेदकों को बिना शर्त के संबंधित विभाग को सौंपेंगे तथा विभाग द्वारा विद्युत प्रदाय प्रणाली जहां तक संभव हो, पर्याप्त स्थान पर उचित क्षमता का सब स्टेशन/ट्रांसफार्मर स्थापित कर सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को दी जावेगी।
31. आवेदक को नगर पालिक निगम जिला जबलपुर एवं अन्य विभागों से प्राप्त समस्त अनुज्ञाओं (विकास एवं भवन) की एक प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा अनुज्ञा प्रपत्रों में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
32. प्रस्तावित व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय एवं आवासीय फ्लेट्स के विकास हेतु अनुमोदित अभिन्यास मानचित्र अनुसार नियमों के अंतर्गत विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् विषयांकित भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का सीमांकन जो कि विधिवत रूप से राजस्व विभाग द्वारा किया गया है, तदनुसार सीमांकन के अनुरूप स्थल की सीमा में विकास अनुमति से पूर्व कोई भिन्नता उत्पन्न होती है तो इस कार्यालय से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपांतरित अभिन्यास अनुमोदन कराना/कराया जाना सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदक दोनों का दायित्व होगा।
33. अनुमोदित मानचित्र में विपरीत किये गये विकास कार्य, गलत या असत्य जानकारी, पहुंच मार्ग विवाद उत्पन्न होने की दशा में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू-सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में या किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाये जाने पर या भूखण्ड किसी भवन के खुले क्षेत्रों में पाये जाने पर तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाये जाने पर अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त शर्तों व उपबंधों के अधीन प्रदान की गई

अनुज्ञा को निलंबित या प्रतिसंहरित (रिव्होक) कर दी जावेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की मानी जावेगी।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला Jabalpur म.प्र.

क्रमांक JBPLP310322145/ दिनांक / 09/MAY/2022

प्रतिलिपि:-

- 1.आयुक्त, नगर पालिक निगम जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1956 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही एवं उपरोक्त वर्णित शर्तों का आवेदक से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की बेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 2.अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग- गोरखपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की बेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 3.क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजय नगर जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
- 4.उप-पंजीयक (स्टाम्प) पंजीयन कार्यालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5.अग्निशमन अधिकारी, नगर पालिक निगम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला Jabalpur म.प्र.